प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. .....377/22.....दिनांक.....22-9-22.....

2. (I) अधिनियमः-धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम ..... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... समय ....6.25PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन-सोमवार, दिनांक 25.07.2022 समय करीब 12.05 पीएम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 25.07.2022 समय ..... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- कस्बा सरूण्ड, जिला जयपुर
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर पूर्व दिशा करीब 109 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम-श्री राजवीर मीणा
   (ब) पिता/पति का नाम-श्री पप्पुराम मीणा
   (स) जन्म तिथी- उम्र-34 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय - प्राईवेट
   (ल) पता-शुक्लावास, पुलिस थाना सरूण्ड जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
1. श्री रमेशचन्द मीणा पुत्र श्री मदनलाल मीणा निवासी ग्राम आंतेला पोस्ट भाबरू थाना भाबरू जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि0 न0 1910, पुलिस थाना सरूण्ड, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...
.....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-0 रूपये लिप्त सम्पति
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 25.07.2022 को परिवादी राजवीर मीणा पुत्र श्री पप्पुराम मीणा निवासी शुक्लावास पुलिस थाना सरूण्ड जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर ने एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश करी कि "सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यरो, जयपुर ग्रामीण विषयः- पुलिस थाना सरूण्ड जिला जयपुर में पुलिस वाले द्वारा रिश्वत मांगने के क्रम में । महोदय, निवेदन है कि दिनांक 23.07.2021 को मेरे भाई नेमीचंद को

पुलिस वाले ग्राम नारेडा से उठा कर ले गये थे। मैने जब मेरे भाई नेमीचंद मीणा को तलाश किया तो पता चला कि एडिशनल एसपी कोटपूतली आफिस में मेरे भाई को बिठा रखा है ।उस पर रीट में पेपर लीक करने का आरोप है दिनांक 24.07.2022 को पुलिस थाना सरूण्ड जिला जयपुर ग्रामीण से रमेश चंद मीणा सिपाही के मो.न. 9694500055 से मेरे फोन न.9828306666 पर वाटस अप काल आया और रमेश चन्द ने मुझे बताया कि आपके भाई नेमीचंद का मामला रीट पेपर लीक करने से सम्बन्धित है। SOG पुलिस का मामला है मेरी SOG से बात हो गयी है उनको पचास हजार रूपये, 50000रू देने पर तेरे भाई के खिलाफ मामला नहीं बनेगा। मैने इतने रूपये रिश्वत के देने में असमर्थता जताई तो उसने 40,000 रूपये देने के लिए कहा है मेरे द्वारा उक्त रिश्वत देने की हां करने पर उसने मेरे भाई की SHO सरूण्ड थाना से बात करके मेरे भाई की 151 धारा में जमानत करवा दी। उक्त रमेश चन्द मीणा स्वयं के मो. न. तथा दूसरे मो.न. 7734815693 से मुझे बार बार वाटसअप फोन करके रिश्वत देकर जाने का दबाब बना रहा है मै उक्त रमेश चन्द मीणा सीपाही को रिश्वत के रू. नही देना चाहता हुं रिपोर्ट पेश है कारवाई करने की कृपा करे।एस.डी राजवीर मीणा S/O पप्पूराम मीणा निवासी शुक्लावास पुलिस थाना सरूण्ड जिला जयपुर मो.न. 9828306666 दिनांक 25.07.22

परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया परिवादी ने दरयाफत पर बताया कि आरोपी श्री रमेश चन्द मीणा पुलिस थाना सरूण्ड में कास्टेबल के पद पर पदस्थापित है जिसने मेरे भाई नेमीचंद को रीट पेपर लीक करने के मामले में एसओजी पुलिस में रिलीफ दिलाने तथा मेरे भाई के विरूद्व एसओजी में मामला रफा दफा करवाने के नाम पर चालीस हजार रूपये रिश्वत के देने के लिए दबाब बना रखा है और बार बार मेरे माबाईल नम्बर पर वाटस अप काल करता है ।मेरे द्वारा रमेश चंद मीणा कानिस्टेबल को एसओजी के किस अधिकारी को रिश्वत देने की पुछने पर उसने मेरे से कहा कि तुम्हे आम खाने है या पेड गिनने है तुम्हे तो तुम्हारे भाई को एसओजी के केस से बचाना है। मेरी एसओजी के अधिकारियों से 40,000 रूपये रिश्वत के सम्बन्ध में बात हो चुकी है।मेरी बात खराब मत करना। परिवादी ने दरयाफत पर यह भी बताया कि मेरे भाई नेमीचंद को बल्लू नाम से भी जाना जाता है।मेरी या मेरे भाई की श्री रमेश चंद कानि. से कोई आपसी रंजिश नहीं है और ना हि उससे कोई उधार रूपये पैसे का लेन देन बाकी है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र एवं दरयाफत से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। परिवादी श्री राजवीर मीणा ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरी रमेश चंद मीणा कास्टेबल से उसके मोबाइल फोन पर वाटस काल पर बात हुई है तथा रमेश चंद मीणा मेरे से मोबाईल फोन पर वाटसअप कालिंग के जरिये रिश्वत की मांग करता है।

इस पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही वाटसअप काल के जरिये दिनांक 25.7.2022 को करवाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री रमेश चंद मीना ने परिवादी के भाई नेमीचन्द उर्फ बल्लु के विरूद्ध एसओजी पुलिस मे रीट पेपर लीक होने का मामला होना बताना तथा परिवादी के भाई को उक्त मामले से बचाने के लिये रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी द्वारा रिश्वती राशि 40,000/-रूपये नही भिजवाने पर परिवादी को उलाहना देते हुये परिवादी से रिश्वत मांग के दौरान यह कहना कि **''अरे यार मेरे पास तो कोई नहीं आया यार या तो बात मत किया करो राजवीर जी या या फिर बेईज्जती मत करवाया करो किसी की यार''** जिस पर आरोपी ने कहा कि **''यार एक चीज बताओ रमेश जी मै बेईज्जती करारो हूं मै जो कण्डीशन थी मै थान्ह बता दी मखो 15 हजार तो ही मै....**जिस पर प्रतिउत्तर में आरोपी द्वारा कहा गया कि **''यारो बेइज्जती ही हो रही है कल आप आने वाले आधे घण्टे का नाम लेके गये आधे घण्टे में आ रहा हूं 15 मिनट में ऐसा थोडी होता है''** तत्पश्चात वार्ता के दौरान आरोपी ने कहा कि **''अच्छा आप यह बात बोल रहे हो आप एक बात बताओ आप उस टाईम तो यह कर रहे थे की भई आप बात करो मैने बात करी कोई बात कोना आप छोडो रहणदो फेर कोई बात कोना ''**जिस पर परिवादी ने कहा कि **'' नहीं म तो पहुंचा दियो पैसा पहुंचा थाहर क न पण**

अभी भी...(नहीं मैने तो पहुंचा दिये पैसे आपके पास पर अभी भी.....) परिवादी ने कहा कि **''ना मै अया कह रहयो हूं या जिम्मेदारी थाहरी रहगी काल न एसओजी वालो कोई लफडो नहीं होनी चाहिये थे कदे ये साला दुबारा पकड ले जाये ये छोरा गिरफ्तार हो ये थाना आला फेर दुबारा कोई लफडो नहीं होनो चाहिए छ थम जाणो थाहरो काम जाण में थाहर पर विश्वास कर रहो हूं''** इस प्रकार उक्त वार्ता में आरोपी ने परिवादी को उसके भाई को रीट प्रकरण में मामले से बचाने की भुमिका बताते हुए रिश्वती राशि समय पर नहीं पहुंचने पर उलाहना दिया है।

तत्पश्चात परिवादी तथा आरोपी के मध्य दिनांक 25.07.2022 को वाटसअप पर पुनः वार्ता होती है जिसमें परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वति राशि का निर्धारण करने के लिए वार्ता होती है जिसमें परिवादी आरोपी से कहता है कि **''मै कम बती करबा के लिये कह रो छो और कोई दिक्कत कोना मखो (मै कम ज्यादा करने के लिए कह रहा था और कोई दिक्कत नहीं मैने कहा''** जिस पर आरोपी ने कहा कि **'' हां कोई न तो भेजो तो सही उन''** जिस पर परिवादी ने कहा कि **'' भेज रहो हूं कता भिजवा दूं फेर किलीयर ही करो इन साला मेटर टंटा न मैने तो दुख हुयो थोडी सो थे बोला यार पहला वाला काम करबा लागगो ''** जिस पर आरोपी ने कहा कि **''वो देख लो.....आप तो अपने हिसाब से देख लो मैने तुम्हारे उपर छोड दिया।** इस प्रकार आरोपी ने परिवादी द्वारा रिश्वत राशि की रकम के बारे मे पूछा तो आरोपी ने रिश्वत राशि के बारे मे स्पष्ट ना बता कर परिवादी को स्वंय की इच्छानुसार देने की बात कही है। इससे स्पष्ट है आरोपी एसओजी अधिकारीयों की आड मे परिवादी से जो भी रिश्वत राशि देना चाहे उसको प्राप्त करना चाह रहा है। तत्पश्चात परिवादी तथा आरोपी मे मध्य वाटसअप काल पर वार्ता हुयी जिसमे आरोपी किसी अन्य व्यक्ति के लिये परिवादी को कहता है कि **मै तो उन चालीस बतायो छो जो थाहरे हिसाब सु देख लो अब (मैने तो उसको चालीस बताये थे तो आप अपने हिसाब से देख लेना)।** इस पर परिवादी ने पैसे कम करने का अनुरोध करते हुये कहा कि **''ये तो पुरा दिवावु देख लो किम 5-7 हजार कुछ कम करो तो'' इस पर प्रतिउत्तर मे आरोपी रमेशचंद ने कहा कि ''मै थाहर माले छोड दियो मै तो मै तो बता दियो न'' (मैने आपके उपर छोड दिया मैने तो बताया दिया)। इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का जवाब देते हुये कहा कि 35 हजार करा दूं** तो प्रतिउत्तर मे आरोपी ने हां भरते हुये कहा कि **''हां ठीक थाहरा हिसाब सु देख लो''** इस पर आरोपी श्री रमेशचंद मीना ने कहा कि **''मेरी बात सुणो मै वान 40 बतायो छो थाहर मालो छोड दियो थे रिश्तेदार आदमी छो मन तो रूपयो ही कोना चाहिये मन थाहरो काम करानो छो जो करा दियो बात खत्म''।** इस प्रकार आरोपी द्वारा परिवादी से 40000/-रूपये रिश्वती राशि के रूप मे मांगना तथा परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहते हुये 35000/-रूपये रिश्वत के देने की कहने पर आरोपी रमेशचंद द्वारा 35000/-रूप्ये रिश्वत लेने पर अपनी स्वीकृती देना रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सत्यापित हुआ। मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के नियमानुसार सीडीयां बर्न की जाकर शील मोहर की गयी। दिनांक 25.07.2022 को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा रिश्वती मे दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने पर मुताबिक फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट के अनुसार कार्यवाही करते हुये मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यगण परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर सरूण्ड पहुंचा। मौके पर ट्रेप जाल बिछाया गया लेकिन आरोपी श्री रमेशचन्द मीना परिवादी को नही मिला जिस पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजवीर मीणा ब्यूरों कार्यलय मे उपस्थित आया। जिसने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मै अब तक रमेश मीणा सिपाही के द्वारा रिश्वत लेने का फोन नही आने के कारण तथा मै अपने घरेलु एवं व्यवसायिक कार्यो मे व्यस्त रहने के कारण आपसे सम्पर्क नही कर पाया था। आरोपी श्री रमेश चन्द मीना कानि0 पुलिस थाना सरूण्ड को मेरे पर शक हो गया है और वह मेरे से बात भी नही करता और नाही मेरे से

रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। परिवादी श्री राजवीर मीना ने रिश्वत मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता तथा उस पर अब तक की ब्यूरों द्वारा की गयी ट्रेप कार्यवाही पर उक्त श्री रमेश चन्द मीना कानि0 पुलिस थाना सरूण्ड के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया।

इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र पर रिश्वत मांग सत्यापन से पाया गया है कि आरोपी श्री रमेशचन्द मीणा पुत्र श्री मदनलाल मीणा निवासी ग्राम आंतेला पोस्ट भाबरू थाना भाबरू जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि0 न0 1910, पुलिस थाना सरूण्ड, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर द्वारा परिवादी के भाई पर रीट पेपर लीक करने का आरोप लगाते हुये एसओजी अधिकारीयो की आड मे मदद करवाने की एवज मे परिवादी से 40,000/-रू रिश्वती राशि मांगना तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 35000/-रू रिश्वत के लेन देन तय हुआ था। आरोपी श्री रमेशचन्द मीणा पुत्र श्री मदनलाल मीणा निवासी ग्राम आंतेला पोस्ट भाबरू थाना भाबरू जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि0 न0 1910, पुलिस थाना सरूण्ड, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(संजय कुमार)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संजय कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमेशचन्द मीणा पुत्र श्री मदनलाल मीणा, कानि. नम्बर 1910, पुलिस थाना सरूण्ड, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 377/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3275-79 दिनांक 22.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

22.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।